



षोडश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 09 अग्रहायण, 1939 (श0)
30 नवम्बर, 2017 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 90

(1) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग		18
(2) नगर विकास एवं आवास विभाग		21
(3) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग		20
(4) कृषि विभाग		12
(5) पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग		09
(6) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग		03
(7) सहकारिता विभाग		07
कुल योग —		90

भू-अर्जन नीति का पालन

*261. श्री समीर कुमार महासेठ—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत भारत-नेपाल सीमान्तर सड़क के अंश झौहड़ी चौक से महादेव-मठ पथ हेतु भू-अर्जन की प्रक्रिया में भू-अर्जन नीति, 2014 का पालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण भू-धारियों द्वारा दिनांक 10 अप्रैल, 2017 को समाहरणालय, मधुबनी के समक्ष धरना भी दिया गया परन्तु आजतक भू-अर्जन नीति, 2014 के अनुसूच कार्रवाई नहीं की जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त झौहड़ी चौक से महादेव-मठ पथ हेतु होने वाले भू-अर्जन में भू-अर्जन नीति, 2014 का पालन करने का विचार रखती है ?

कार्रवाई करना

*262. श्री सरोज यादव—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के बड़हरा एवं आरा प्रखंड में वर्ष 2016 में आयी बाढ़ में हुयी फसल क्षति के मुआवजा की राशि चालीस-चालीस हजार रुपये का भुगतान पूरे प्रखंड में नहीं कर एक ही परिवार के सभी सदस्यों को कर दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राजकीय मेला घोषित करना

*263. श्री रत्नेश सादा—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड में प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने में गौशाला मेला का आयोजन विगत दस वर्षों से भी अधिक समय से भव्य रूप में होता आ रहा है जिसमें निकटवर्ती जिलों से आम नागरिक पूजा-अर्चना करने एवं मेला घूमने आते हैं, यदि हाँ, तो सरकार गौशाला मेला को राजकीय मेला घोषित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सालय की घेराबंदी

*264. श्री चन्द्रसेन प्रसाद—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के एकंगरसराय बाजार में प्रखंड पशु चिकित्सालय एवं तल्हाड़ा बाजार में प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय का भवन जर्जर अवस्था में है जिसके कारण कर्मचारी एवं पशु चिकित्सक चिकित्सालय में बैठने में असहज महसूस करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य के द्वारा इस आशय की जानकारी लिखित रूप में वर्ष 2016 में विभागीय सचिव को भी दिया गया है परन्तु अभीतक कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पशु चिकित्सालयों का जीर्णोद्धार एवं घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट—'क'-पर्यटन विभाग से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को स्थानान्तरित ।

सब्सिडी दिलाना

*265. श्री प्रभुनाथ प्रसाद--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के अगियाँव, चरपोखरी एवं गढ़हनी प्रखंडों में किसानों को धान के बीज का सब्सिडी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है जबकि धान की कटनी के साथ-साथ गेहूँ की बुआई भी शुरू हो चुका है, यदि हाँ, तो सरकार किसानों को उक्त प्रखंडों में कब तक उक्त बीज का सब्सिडी दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदाधिकारी पर कार्रवाई

*266. श्री भाई वीरेन्द्र--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा आयोजित उद्घाटन समारोह में स्थानीय विधान सभा क्षेत्र के माननीय विधायक को आमंत्रित किये जाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत मनेर विधान सभा क्षेत्र स्थित दिनांक 15 नवम्बर, 2017 को एफ0एम0डी0सी0पी0 टीकाकरण के शुभारम्भ के अवसर पर विभागीय पदाधिकारियों द्वारा प्रश्नकर्ता स्थानीय विधायक को किसी प्रकार की सूचना नहीं दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कब तक संबंधित विभागीय पदाधिकारियों पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*267. श्री उमेश सिंह कुशवाहा--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत महनार नगर पंचायत में बजरंगबली चौक के उत्तर जानेवाली पासवान टोला होते हुये चच्चा राय के घर के निकट तक एवं वार्ड नं0 22 में सुरेन्द्र सिंह के घर के निकट से मच्छु पासवान के घर होते हुये, प्रेम पासवान के घर होते हुये फकीरा सिंह के घर तक वाली सड़क की स्थिति काफी जर्जर होने से बरसात के समय सड़क पर जल-जमाव हो जाता है जिस कारण लोगों को यातायात में काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क का निर्माण कार्य कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति करना

*268. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारून प्रखंड के दुधार पंचायत के सुन्दरगंज बाजार में पाँच वर्ष पूर्व निर्मित पानी टंकी से तथा बारून बाजार में पानी टंकी से निर्माण काल से ही पेयजल की आपूर्ति नहीं होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों टंकी से जलापूर्ति कब तक नियमित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सालय का निर्माण

*269. श्री राजेश कुमार--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत देव प्रखंड के बालूगंज में पशु चिकित्सालय नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार वहाँ पशु चिकित्सालय का निर्माण कब तक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

किस्त का भुगतान

*270. श्री (मो0) तीसीफ आलम--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 3 नवम्बर, 2017 को प्रकाशित शीर्षक "भुगतान नहीं होने से लाभुक परेशान है" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत नगर पंचायत बहादुरगंज में वर्ष-2016-17 के लिये 830 आवास इकाई से जुड़े लाभुकों में से आजतक 200 लाभुकों को आवास आवंटन के बाद भी प्रथम किस्त का भुगतान नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त आवास इकाई से जुड़े 200 लाभुकों को दूसरा किस्त का भुगतान नहीं होने से आवास निर्माण कार्य अधूरा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त आवास लाभुकों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त का भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति प्रारम्भ कराना

*271. श्री अशोक कुमार--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत खानपुर प्रखंड के गाहर ग्राम में पाइप बिछाकर ग्रामीण पेय जलापूर्ति योजना के तहत जलापूर्ति हेतु वर्ष 2001 में जलमीनार का निर्माण हुआ था, परन्तु अबतक स्थानीय ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति नहीं की जा सकी है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है तथा सरकार कबतक उक्त ग्राम में जलापूर्ति प्रारम्भ कराना चाहती है ?

हाई मास्ट लाइट चालू कराना

*272. श्रीमती वर्षा रानी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत खरीक प्रखण्ड के लत्तीपुर चौक पर ग्रामीणों की सुविधा हेतु अधिष्ठापित हाई मास्ट लाइट विगत 5 वर्षों से खराब होने के कारण अक्सर दुर्घटनाएँ होती रहती हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार खरीक प्रखण्ड के लत्तीपुर चौक स्थित हाई मास्ट लाइट को चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चकबन्दी कराना

*273. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला सहित बिहार के अन्य जिले में सर्वे एवं चकबन्दी का कार्य विगत 10 वर्षों से बन्द है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिस गाँव में सर्वे का कार्य पूरा नहीं हुआ है, उस गाँव में भी सर्वे के नाम पर भूस्वामियों को परेशान किया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी जिलों का चकबन्दी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक ?

मत्स्यपालन केन्द्र का निर्माण

*274. श्रीमती सावित्री देवी--क्या मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति एवं जन-जाति क्षेत्र में विभाग द्वारा मत्स्यपालन हेतु तालाब का निर्माण कराने का सरकारी प्रावधान है, परन्तु आजतक जमुई जिला के चकाई प्रखण्ड के मधुपुर, राजासराय आदि अनुसूचित जाति एवं जन-जाति क्षेत्रों में एक भी मत्स्यपालन केन्द्र की स्थापना नहीं की गई है, जिससे वहाँ अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों को मत्स्यपालन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त क्षेत्रों में मत्स्यपालन केन्द्रों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराकर कार्रवाई करना

*275. श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला सीवान के प्रखण्ड गोरेयाकोटी के पंचायत गोरेयाकोटी में गैर-सरकारी नारायणपुर उपभोक्ता भण्डार सरकारी राशन किरासन तेल का उठाव करता है, परन्तु उपभोक्ता में वितरण नहीं करता है, यदि हाँ, तो सरकार नारायण उपभोक्ता भण्डार की जाँच कराकर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई

*276. श्री सदानन्द सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत भागलपुर नगर निगम, मौजा-बरेहपुरा, खाता नं०-1818, खेसरा-2600, अंचल-जगदीशपुर के सीमांकन के संबंध में तत्कालीन मंत्री ने प्रश्नकर्ता के पत्र पर अपने पत्रांक 1129, दिनांक 9 मई, 2016 द्वारा भागलपुर समाहर्ता, भागलपुर को जाँच कर कार्रवाई करने का निदेश दिया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि भागलपुर समाहर्ता के द्वारा उक्त निदेश के अनुपालन में अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त भूमि का सीमांकन कराने के साथ ही निदेश का अनुपालन नहीं करने वाले दोषी पदाधिकारी पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार का निर्माण

*277. श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रूम--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिला के कटोरिया विधान सभा क्षेत्र के बाँसी प्रखण्ड के सुखनियाँ ग्राम तथा कटोरिया प्रखण्ड के जयपुर पंचायत में पिछले दो वर्ष से जलमीनार के निर्माण हेतु निविदा निकाला जा रहा है, परन्तु निविदा निष्पादित नहीं हो रही है, जिससे वहाँ के ग्रामीण शुद्ध पेय जल पीने से वंचित रह जा रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों जलमीनार को कबतक निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चापाकल गाड़ना

*278. श्री (मोहम्मद) नवाज आलम—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के आरा विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री चापाकल योजना द्वारा चापाकल गाड़ने की सभी सूची विभागीय कार्यपालक अभियंता, आरा को एक वर्ष पूर्व सौंप दी गयी है, परन्तु अभी तक क्षेत्रों में कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक चापाकल गाड़ने के कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कीमत नहीं मिलने का औचित्य

*279. श्री नरेन्द्र नारायण यादव—क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत प्रखंड उदाकिशुनगंज के अधीन लश्करी पैक्स के ग्राम-मुरली चंदवा में श्री मनोज सिंह सहित 22 किसानों ने वर्ष 2015-16 में धान विक्री हेतु दिया था, परन्तु अभी तक किसानों को धान की कीमत नहीं मिल पाई है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

जलापूर्ति करना

*280. श्री रामदेव राय—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के मंसूरचक प्रखंड में वृहत जलापूर्ति योजना के तहत मंसूरचक पंचायत के वार्ड नं० 1, 6, 11, 12, 13, 14, 15 में 5 वर्षों से पाइप एवं नल नहीं लगने के कारण वार्ड के निवासी इस योजना के लाभ से वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वार्ड में पाइप एवं नल लगवाकर जलापूर्ति कब तक शुरू कराने के विचार रखती है ?

ऋण मुहैया कराना

*281. श्री (मोहम्मद) नवाज आलम—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला में पशुपालन (गाय पालन) हेतु वर्ष 2016 में 10 लोगों को ऋण दिया गया था परन्तु वर्ष 2017 में मात्र चार लोगों को ही ऋण दिया है, जबकि इस जिले में पशुपालन एक प्रमुख साधन है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जिला में पशुपालन के लिये निर्धारित संख्या में ऋण मुहैया कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पथ का जीर्णोद्धार

*282. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड नगर पंचायत के वार्ड नं० 10 के हनुमान नगर जगदीश सिंह के घर से छोटी बेलसंड में कुर्मी टोला तक पथ विगत 20 वर्षों से जर्जर होने के कारण आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथ का जीर्णोद्धार कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अधूरे कार्य को पूरा करना

*283. श्री जिवेश कुमार—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत जाले प्रखंड में मुख्यमंत्री चापाकल योजना (2015-16) अन्तर्गत प्रति पंचायत पाँच चापाकल अर्थात् कुल 195 चापाकल के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 98 चापाकल की गाड़ी गया है, जिसमें से कुछ चापाकल का प्लास्टर एवं योजना का शिलापट्ट भी अभी तक नहीं लगाया गया है, यदि हाँ, तो सरकार शेष बचे चापाकल को गाड़ने के साथ-साथ अधूरे कार्य को कब तक पूरा करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाली का निर्माण

*284. श्री आनन्द शंकर सिंह—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के औरंगाबाद नगर अन्तर्गत वार्ड संख्या 7 में वैद्यनाथ सिंह के घर से अरूण लाल के घर तक एवं पवन सिंह के घर से पुरुषोत्तम सिंह के घर तक तथा वार्ड संख्या 31 में गंगटी रोड से जय सिंह एवं राकेश सिंह के घर तक पथ एवं नाली जर्जर अवस्था में है, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त पथों एवं नालियों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बताना

*285. श्री रामदेव राय—क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि योगसराय जिलान्तर्गत भगवानपुर व्यापार मंडल का सदस्य बनने हेतु कृषकों द्वारा वर्ष 2007 में ही सदस्यता शुल्क एवं शेयर की राशि जमा करने के बावजूद कृषकों का नाम व्यापार मंडल के चुनाव में मतदान करने वाले कृषकों की सूची में नहीं जोड़ा गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिना नाम जोड़े ही वर्ष 2007, 2012 एवं 2017 का चुनाव हो चुका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो वर्ष 2007 में ही सदस्यता शुल्क एवं शेयर की राशि जमा करने वाले कृषकों का नाम सदस्यता सूची में नहीं जोड़कर तीन-तीन चुनाव कराने का क्या औचित्य है ?

सड़क एवं नाला का निर्माण

*286. श्री शिवचन्द्र राम—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के वार्ड नं० 30 में संजय नगर, रोड नं० 3 की स्थिति अत्यन्त जर्जर है और नाला नहीं रहने से सड़क पर पानी का जमाव रहता है, जिससे क्षेत्र की जनता को आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उपरोक्त सड़क एवं नाला का निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल मुहैया कराना

*287. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पिपरा बाजार में स्थित पानी टंकी खराब होने से वहाँ के लोगों को पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पानी टंकी को ठीक करकर आम लोगों को पेयजल मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना

*288. डॉ० अशोक कुमार—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अन्तर्गत महथी उत्तर पंचायत में जलापूर्ति हेतु पानी टंकी के निर्माण के लिये जमीन का निबंधन दो वर्ष पूर्व हो चुका है परन्तु आजतक पानी टंकी के निर्माण हेतु किसी प्रकार की अग्रतर कार्रवाई नहीं की जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त पानी टंकी का निर्माण करकर ग्रामीणों को पेयजल सुविधा कबतक उपलब्ध कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*289. श्री (मो०) तौसीफ आलम—स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 6 नवम्बर, 2017 को प्रकाशित शीर्षक "एस०डी०एम० के आदेश की हो रही अनदेखी" का ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन अंचल के धनपुरा में सरकारी जमीन पर अवैध भवन निर्माण के संबंध में आवेदनकर्ता मुख्तार अहमद ने एस०डी०एम० से शिकायत की है जिसके आलोक में एस०डी०एम० ने पत्रांक 724 के तहत कोचाधामन के सी०ओ० के कार्रवाई हेतु 3 माह पूर्व पत्र लिखा है लेकिन अबतक कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

नगर पंचायत का दर्जा

*290. श्री चन्द्रसेन प्रसाद—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इसलामपुर विधान सभा क्षेत्र में एकंगरसराय पंचायत की आबादी 15,500 की है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के दो प्रमुख पर्यटक क्षेत्र राजगीर एवं बोधगया जाने-आने के लिये एकंगरसराय केंद्र बिन्दु है तथा एकंगरसराय नगर पंचायत का दर्जा पाने की अर्हता रखता है, यदि हाँ, तो इसे उक्त दर्जा देने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

खुले में शौच से मुक्ति

*291. श्री समीर कुमार महासंत—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा दिसम्बर, 2018 तक देश को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा शौचालय निर्माण का राष्ट्रीय औसत 67 प्रतिशत है परन्तु बिहार का 32.5 प्रतिशत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि देश के 192 जिले खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं परन्तु बिहार का एक भी जिला इसमें सम्मिलित नहीं है ;

(3) क्या यह बात सही है कि राज्य को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु 1.60 करोड़ शौचालय का निर्माण कराने का लक्ष्य है जिसे हासिल करने के लिये 25,000 शौचालय का निर्माण हर दिन करना होगा जबकि अभी मात्र 8,000 ही शौचालय का निर्माण हो रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर सकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में खुले शौच से मुक्त करने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ?

बाजार का निर्माण

*292. श्रीमती अरूणा देवी—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के नगर पंचायत, वारिसलीगंज बाजार में सड़क किनारे बस खड़ा किया जाता है तथा फल-सब्जी विक्रेता के कारण सड़क पूर्णरूपेण अतिक्रमिit है जिससे वारिसलीगंज बाजार में भयंकर जाम लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बाजार से अलग बस स्टैंड तथा सब्जी बाजार का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रशासनिक भवन का निर्माण

*293. श्री नन्द कुमार जय—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मोतीपुर नगर पंचायत में प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा 94,83,690 रु। स्वीकृत किया गया था तथा उक्त भवन निर्माण हेतु मोतीपुर नगर पंचायत द्वारा तीन बार एवं विहार शहरी विकास अभिकरण, पटना द्वारा दो बार निविदा निकाला गया था परन्तु पाँच बार निविदा के पश्चात् भवन निर्माण नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नगर पंचायत में प्रशासनिक भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*294. श्री विनोद प्रसाद यादव—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नगर पंचायत, शेरघाटी में रमना मोड़ से पशु मेला में सामुदायिक भवन होते हुये खुदी नदी तक एवं मिल्कीबाग से भटकूरहा रोड में पिपल के पेड़ तक नाला नहीं रहने से जल निकासी में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उपरोक्त वर्णित नाला का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*295. श्री राजेश कुमार—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर प्रखण्ड के ग्राम-जनतुआ एवं ग्राम-खगुहा में मिनी जलापूर्ति योजना का कार्य यथा पाइप लाइन मोटर सहित मानक प्राक्कलन के अनुसार नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जाँच कराकर कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

आवागमन चालू कराना

*296. श्री महबूब आलम—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पटना शहर स्थित वार्ड नं० 22 (ए) मखदुमपुर बगीचा स्थित गेट नं०-89 के सामने गाँधी मैदान-दीघा मुख्य सड़क से 200 मीटर लम्बी 5 फीट चौड़ा गली राजीवनगर मुहल्ला को जोड़ती थी, जिसे अब बन्द कर दिया गया है, जबकि इस गली से प्रतिदिन 20-25 हजार आम जनता का आवागमन होता था, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

भूमि उपलब्ध कराना

*297. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखण्ड के उ.गवनद्रा पंचायत के सिहोरवा निवासी रामायण राम, फगुनी राम, कपिलराम सहित 25 से ज्यादा अनुसूचित जाति परिवार को अपना जमीन नहीं होने से आवास निर्माण में भारी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो प्रावधान के आलोक में इन्हें आवासीय भूमि उपलब्ध कराने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

अतिक्रमण हटाना

*298. श्री निरंजन कुमार मेहता—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत आशियाना-दीघा पथ में पासपोर्ट सेवा केन्द्र के उत्तर एक्सीस बैंक के सामने सड़क के दूसरी ओर लगभग दस दुकान एवं कोचिंग संस्थान प्रावधान के विपरीत संचालित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उन दुकानों एवं कोचिंग संस्थान की गाड़ियाँ, मोटर साइकिल एवं साइकिल मुख्य पथ पर ही अतिक्रमण कर पार्किंग की जाती है, जिससे हमेशा यातायात बाधित रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आशियाना-दीघा पथ पर एक्सीस बैंक के सामने सड़क के पश्चिमी ओर अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*299. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत नगर पंचायत घोघरडीहा के कार्यपालक पदाधिकारी ने चतुर्थ वित्त आयोग की राशि से घोघरडीहा गाँव में पीएचब्लूएडी सड़क के आर-पार स्व0 जग नारायण झा द्वार का निर्माण कराया है, जिसकी प्रवक्कलित राशि दो लाख तिहतर हजार चार सौ बारह रुपये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि चतुर्थ वित्त आयोग की राशि से किसी व्यक्ति विशेष का स्मारक द्वार नहीं बनाया जा सकता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नियम विरुद्ध निर्माण करने वाले नगर पंचायत घोघरडीहा के कर्मियों के विरुद्ध कौन सी कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

फसल का मुआवजा देना

*300. श्री विद्या सागर केशरी--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखण्ड में आयी विनाशकारी बाढ़ में किसानों का फसल एवं बागवानी पूर्णतः बर्बाद हो जाने के पश्चात् सरकारी मुआवजे की राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है, यदि हाँ, तो सरकार किसानों के बर्बाद हुये फसल का मुआवजा राशि कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति चालू करना

*301. सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के कोढ़ा प्रखंड के राजवाड़ा पंचायत के वार्ड नम्बर-3 एवं 5 में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना (हर घर जल का नल) के तहत हर घर में जल आपूर्ति की शुरुआत दिसम्बर, 2016 में किया गया परन्तु जलापूर्ति जनवरी, 2017 से ही बंद है, यदि हाँ तो सरकार वर्णित वाडों में पुनः जलापूर्ति कबतक शुरू करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*302. श्रीमती बीमा भारती--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अन्तर्गत फारबिसगंज प्रखण्ड के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं इस प्रखण्ड के सभी डीलरों की मिलीभग से विगत 2 (दो) वर्षों से अनाज एवं मिट्टी तेल का कालाबाजारी किया जा रहा है, जिसके संबंध में प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर, 2016 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अररिया को शिकायत की गई थी, किन्तु स्थिति यथावत है, यदि हाँ, तो क्या इसकी जाँच कराकर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

* 303. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत तरियाणी प्रखंड के अटकोनी एवं सोनवपा में जलमीनार का निर्माण वित्तीय वर्ष 2014-15 में किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जलमीनार में मोटर, पाइप की गुणवत्ता एवं जलमीनार ढाँचा (भवन सहित) निर्माण प्राक्कलन के अनुरूप नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त जलमीनार का कार्य प्राक्कलन के अनुसार नहीं कराने वाले संवेदक एवं पदाधिकारियों पर कौन-सी कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदाधिकारियों पर कार्रवाई

* 304. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड में कृषि विभाग द्वारा किसानों को ससमय बीज की उपलब्धता एवं सस्मिडी की राशि उपलब्ध नहीं कराया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार किसानों का समय पर बीज उपलब्ध कराते हुये धान की सस्मिडी नहीं देने पर कोताही बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक स्थापित करना

* 305. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनसाही प्रखंड में 7 पैक्स होने के बावजूद एक भी सहकारी बैंक नहीं है, जबकि फुलहारा पैक्स में 30 डीसमोल भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

भूमि का अधिग्रहण

* 306. श्री मिथिलेश तिवारी--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिले के बैकुण्ठपुर प्रखंड में वर्षों से निर्माणाधीन सतरघाट पुल का निर्माण कार्य भूमि अधिग्रहण नहीं होने के कारण बन्द है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बड़ी संख्या में Unsurvey land होने के कारण भूमि अधिग्रहण करने में सरकार को परेशानी हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार Unsurvey land का Survey कराकर किसानों को उचित मुआवजा देने के साथ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

क्रय केन्द्र का निर्माण

* 307. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड में किसानों के लिये क्रय केन्द्र (भंडारण) का निर्माण नहीं होने से किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जबकि उक्त प्रखंड में सरकारी जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक क्रय केन्द्र का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवास का लाभ देना

*308. श्री गुलाब यादव--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत नगर पंचायत झंझारपुर के अधीन सरकार के शहरी आवास योजना में भूमिहीन परिवारों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पंचायत के भूमिहीनों को आवास का लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्ति

*309. डॉ० सी०एन० गुप्ता--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत नगर निगम छपरा में शिल्पी पैलेस के नजदीक पोखरा का जमीन एवं वार्ड नं० 34 से वार्ड-44 झाला के पार नगर परिषद् का जमीन अतिक्रमित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु नगर परिषद् बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगर निगम छपरा को आदेश दिया गया है, फिर भी उक्त जमीन को अतिक्रमण से अभी तक मुक्त नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर सकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त अतिक्रमित जमीन को कब तक मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*310. श्री महेश्वर प्रसाद यादव--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट विधान सभा क्षेत्र के सभी पंचायतों में 5-5 अदद चापाकल लगाने का कार्य वर्ष 2016-17 में मे० ओम कन्सल्टेशन पार्टनर श्री कृष्ण मोहन कुमार न्यू कॉलनी बालुघाट, थाना-नगर जिला मुजफ्फरपुर को आवंटित किया गया था, परन्तु उक्त कार्यकारी एजेन्सी द्वारा अभी तक निर्धारित लक्ष्य का 50% चापाकल भी नहीं लगाया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कार्यकारी एजेन्सी के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई कब तक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अवैध निर्माण को रोकना

*311. श्री (डॉ०) अशोक कुमार--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पटना शहर में बाकरगंज स्थित सुपर खेतान भाकट के चर्च कॉलोनी में गरीब, असहाय एवं भूमिहीन ईसाई को वर्ष 1994 में सरकार द्वारा आवासित किया गया था, किन्तु दिनांक 19 दिसम्बर, 2015 का स्थानीय भू-माफियाओं द्वारा उनके घरों को जबरन तोड़कर अवैध निर्माण किया जा रहा है, जबकि निर्माणाधीन भवन का नक्शा भी पास नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक इसकी जाँच कराकर अवैध निर्माण रोकने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की स्थापना

*312. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर विधान सभा में सहकारी बैंक नहीं होने से इस क्षेत्र के सहकारिता से जुड़े लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो कल्याणपुर में उक्त बैंक स्थापित करने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

अतिक्रमण से मुक्त करना

* 313. श्री नरेन्द्र नारायण यादव—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला अन्तर्गत प्रखण्ड मधेपुरा एवं प्रखण्ड पुरैनी स्थित गोशाला की जमीन को असमाजिक तत्वों ने जबरदस्ती अतिक्रमित कर लिया है, जिससे गोशाला की आमदनी पर बुरा प्रभाव पड़ा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार गोशाला की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

* 314. श्री विनोद प्रसाद यादव—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नगर पंचायत शेरघाटी में लोदोशहीद मोड़ से पशु मैनार्ड हाँकर सामुदायिक भवन के पास से होते हुये बुद्धिया नदी तक एवं वार्ड नं० 15 शंखपुरा से वार्ड नं० 13 चतरा रोड होते हुये मोरहर नदी तक नाला नहीं रहने से मुहल्ले में जल-जमाव की समस्या बनी रहती है एवं लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित स्थानों पर नाला निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई

* 315. श्री उमेश सिंह कुशवाहा—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत महनार प्रखण्ड में द्विप सिंचाई योजना से वर्ष 2016-17 में 5 किसानों के 11 हेक्टेयर में कृषि सिंचाई हेतु खेतों में पाइप बिछाना था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उप निर्देशक, जिला उद्यान, वैशाली एवं संवेदक के मिलीभगत से उक्त प्रखण्ड में 11 हेक्टेयर में से मात्र 6 हेक्टेयर में पाइप बिछाकर कार्य को पूर्ण दिखाकर राशि की निकासी कर ली गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर सत्योकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड में द्विप सिंचाई योजना से वर्ष 2016-17 में कराये गये कार्यों की जाँच कराकर दोषियों/पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति योजना कार्यान्वित करना

* 316. श्री शत्रुघ्न तिवारी—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के अमनौर प्रखण्ड अन्तर्गत हुस्सेपुर पंचायत में ग्रामीण जलापूर्ति योजना लागू नहीं होने के कारण क्षेत्र की जनता को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार हुस्सेपुर में ग्रामीण जलापूर्ति योजना कबतक कार्यान्वित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सालय स्थापित करना

*317. श्रीमती (डॉ०) रंजु गीता—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखण्ड के मधुवन बसहा पश्चिमी पंचायत के आमजनों का जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत गाय, भैंस, बकरी एवं मुर्गीपालन है, जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण इसी वर्ष (2017) में आयी प्रलयकारी बाढ़ से जान-माल की काफी क्षति हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित ग्राम में उप पशु चिकित्सालय स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा का भुगतान

*318. श्री निरंजन कुमार मेहता—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के बिहारगंज विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2017 में आयी भयंकर बाढ़ से किसानों की हुयी फसल क्षति से संबंधित सर्वे एवं आकलन का कार्य विभाग द्वारा गठित दल द्वारा पूर्ण किया जा चुका है, लेकिन प्रभावित किसानों को फसल क्षति हेतु मुआवजा का भुगतान अभीतक नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार बिहारगंज विधान-सभा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित किसानों को फसल क्षति के मुआवजा का भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*319. श्री श्यामबाबु प्रसाद यादव—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चकिया प्रखण्ड में किसान भवन कई वर्षों से स्विकृत है, परन्तु अबतक किसान भवन निर्मित नहीं हो पाया है, जिससे किसानों से संबंधित विभागीय बैठक आदि में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

अतिक्रमण हटाना

*320. श्री श्रीनारायण यादव—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के रूपौली प्रखण्ड स्थित हुमरी मौजा कोयली सिमरा थाना नं० 281 खाता नं० 1105 खेसरा नं० 4019 में अंचलाधिकारी रूपौली के द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2017 को मापी किया गया है, परन्तु अभीतक अतिक्रमणकारी के द्वारा उक्त जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, यदि हाँ, तो सरकार अंचलाधिकारी रूपौली के द्वारा मापी के आधार पर अतिक्रमण हटाने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति

*321. श्री अशोक कुमार सिंह—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखण्ड के कविलासपुर गाँव में पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सक के अभाव में 5 वर्षों से बंद है, जिससे पशुओं के इलाज में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गाँव में कबतक पशुचिकित्सक की प्रतिनियुक्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पानी उपलब्ध कराना

* 322. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखण्ड अन्तर्गत बहरसाल ग्राम की आबादी 10 हजार से अधिक है, लेकिन कोई सरकारी व्यवस्था नहीं होने के कारण वहाँ के लोग लौह और आर्सेनिक युक्त पानी पीने के लिये विवश हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में शुद्ध पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कूड़ा डम्प कराना

* 323. श्री सुबोध राय—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर नगर निगम द्वारा नाथनगर, चम्पा नाला के बाढ़ एन०एच० 80 के किनारे दोना और कूड़ों के डम्प करने से दुर्गंध के कारण पूरा ग्रामीण वातावरण प्रदूषित हो गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार, भागलपुर नगर निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में डम्प किये जा रहे कूड़े का गैर-आवासीय क्षेत्र में डम्प करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदाधिकारी का पदस्थापन

* 324. श्री शमीम अहमद—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के छोड़ादाना प्रखण्ड में 6 माह पूर्व अंचल पदाधिकारी के स्थानान्तरण के फलस्वरूप अंचल पदाधिकारी का पद रिक्त है तथा उक्त प्रखण्ड में पद रिक्ति के विरुद्ध प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अंचल का भी प्रभार दिया गया है, फलस्वरूप अत्यधिक कार्यभार के कारण प्रखण्ड/अंचल का विकास कार्य काफी धीमा पड़ गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्ड में कबतक अंचल पदाधिकारी को पदस्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा मुहैया कराना

* 325. श्री विजय कुमार खेमका—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के पूर्णियाँ विधान सभा अन्तर्गत पूर्णियाँ पूर्व प्रखण्ड के पंचायत हरदा एवं (सपना) गौरा में लगने वाली ग्रामीण हाट बाजार का राजस्व पूर्णियाँ पूर्व प्रखण्ड द्वारा लिया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों हाट-बाजार में पानी, बिजली, शौचालय, शेड एवं सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे बाजार में दुकानदारों एवं राहगीरों को काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त हाटों में ग्रामीणों की सुविधा हेतु मूलभूत सुविधा मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण हटाना

* 326. डॉ० मुहम्मद जावेद—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज शहर के बीचों-बीच आलमगंज हाट अतिक्रमणित है, जिसके कारण हाट सड़क पर लगती है तथा आवागमन ठप हो जाता है, यदि हाँ, तो सरकार आलमगंज हाट से अतिक्रमण कबतक हटाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्त करना

*327. श्री (मो०) आफाक आलम—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत जलालगढ़ अंचल में एक अमीन का पद स्वीकृत है, परन्तु स्वीकृत पद के विरुद्ध 5 वर्षों से अमीन का पद रिक्त है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्ड में अमीन के रिक्त पद पर कबतक प्रतिनियुक्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नम स्टैण्ड बनाना

*328. श्री महबुब आलम—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बारसाई अनुमंडल मुख्यालय शहर में एक भी नम स्टैण्ड या ऑटो स्टैण्ड नहीं रहने के कारण बारसाई आन-जान वाले यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार बारसाई अनुमंडल मुख्यालय शहर में कबतक नम स्टैण्ड एवं ऑटो स्टैण्ड बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान कराना

*329. श्री अचमित ऋषिदेव—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला में फरवरी, 2017 से जुलाई, 2017 तक 1,300 जन-वितरण प्रणाली विक्रेताओं को एस०एफ०सी० गोदाम से उनके जन-वितरण प्रणाली दुकान तक खाद्यान्न का उठाव डोर स्ट्रेप डिलीवरी हेतु प्रतिनियुक्त संवेदक द्वारा नहीं किया गया है, जिससे उक्त अवधि में प्रत्येक जन-वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा भाड़ा देकर खाद्यान्न का उठाव किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अवधि में खाद्यान्न उठाव में लगाये गये भाड़े का भुगतान जन-वितरण प्रणाली विक्रेताओं को संवेदक द्वारा अबतक नहीं किया गया है, जबकि संवेदक को भाड़े की राशि का भुगतान विभाग द्वारा अगस्त, 2017 में कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अररिया जिला के जन-वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा लगाये गये भाड़े की राशि की प्रतिपूर्ति कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का आर्वाइट करना

*330. डॉ० मुहम्मद जावेद—क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पैक्स द्वारा धान अधिप्राप्ति 15 नवम्बर से शुरू होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला में धान अधिप्राप्ति के लिये पैक्सों में फरवरी माह में खरीदगी के लिये राशि आर्वाइट होती है, जिसके कारण किसान विचौलिये के पाम जाने के लिये मजबूर हो जाते हैं, यदि हाँ, तो उक्त मद में शुरू में ही राशि आर्वाइट करने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

मुख्य नाला से जोड़ना

*331. श्री संजय सरावगी—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं० 40, मोहल्ला अभंडा में मोहन सहनी के घर से कुम्हार टोला होते हुये अभंडा आरा मशीन के पास मुख्य नाला तक नाला नहीं रहने के कारण जल-जमाव की भीषण समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित नाले को मुख्य नाला से कबतक जोड़ने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई

*332. श्री प्रभुनाथ प्रसाद—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के गड़हनी, अगियाँव एवं चरपोखरी प्रखण्ड में पदाधिकारियों द्वारा किसानों को दलहन, तेलहन, धान एवं मक्का का बीज समय पर उपलब्ध नहीं कराने के चलते किसानों का अन्य स्थानों से ऊँची कीमत पर बीज क्रय करना पड़ता है, जिसके कारण किसानों में क्षोभ व्याप्त है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों में समय पर बीज उपलब्ध नहीं कराने वाले दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि क्रय कर बसाना

*333. श्री अचमित ऋषिदेव—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार गृह स्थल क्रय नीति 2011 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के गृहविहीन परिवारों को रैयती भूमि क्रय कर बसाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत, हाँसा स्थित लक्ष्मीपुर गाँव में विन्देश्वरी ऋषिदेव, अशोक ऋषिदेव, बूटन ऋषिदेव, नूनूलाल ऋषिदेव, ब्रह्मानंद ऋषिदेव, पिन्टू ऋषिदेव, संतोष ऋषिदेव, नरेश ऋषिदेव एवं अन्य कुल 25 महादलित परिवार अपना वासडीह के अभाव में सड़क के किनारे 25 वर्षों से अधिक समय से जीवनयापन कर रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्राम-लक्ष्मीपुर के 25 महादलित वासडीह रहित परिवारों को रैयती भूमि क्रय कर बसाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*334. श्री कंदार प्रसाद गुप्ता—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत कुदनी प्रखण्ड के अंचल अधिकारी के अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 1269, दिनांक 12 अप्रैल, 2017 के द्वारा दोषी करार करते हुये उनके विरुद्ध प्रपत्र “क” गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया है, परन्तु अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

योजना का कार्यान्वयन

*335. श्री जनार्दन मांझी—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत बाँसी प्रखण्ड के सुखनिया जलापूर्ति योजना जो पच्चीस वर्षों से बाढ़ में ध्वस्त हो गया है, का तीन वर्ष पूर्व डी0 पी0 आर0 बनाकर छः करोड़ पैंसठ लाख की स्वीकृति भी हो चुकी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अभियंता प्रमुख द्वारा निविदा का निपटारा नहीं कर पाने की वजह से कार्य नहीं हो पा रहा है, जिस कारण वहाँ के ग्रामीण जनता दूषित पानी पीने को विवश हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त योजना को कबतक कार्यान्वित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दखल-कब्जा दिलाना

*336. श्री लक्ष्मेश्वर राय—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लौकही प्रखण्ड के अटरी पंचायत के थरुआही ग्राम में 350 भूमिहीन परिवारों को 1991 में सिलिंग ऐक्ट के तहत पचा दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन को वास्तविक भू-धारी द्वारा जमीन पर कब्जा कर भू-खण्ड के कुछ हिस्से को बेच दिया गया है तथा 350 भूमिहीन परिवारों को बसने नहीं दिया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भू-खण्ड पर अतिक्रमण पर रोक लगाते हुये भूमिहीनों को जमीन पर दखल-कब्जा दिलाने का विचार रखती है ?

ऋण माफ़ करना

*337. श्री मिथिलेश तिवारी—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017 के अगस्त माह में गण्डक नदी में आयी प्रलयंकारी बाढ़ के कारण गोपालगंज जिले के बैकुण्ठपुर विधान सभा के सिधवलिया, बैकुण्ठपुर और बरौली प्रखण्डों के लाखों किसानों की फसल नष्ट हो जाने के कारण किसान KCC ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्डों के किसानों को कबतक फसल क्षति मुआवजा देने का विचार रखती है तथा किसानों के ऋण को माफ़ करने की सरकार की क्या कार्य योजना है ?

बिजली एवं पानी की व्यवस्था

*338. श्री शमीम अहमद—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के शंजरिया प्रखण्ड में 8 माह पूर्व नव-निर्मित किसान भवन में बिजली एवं पानी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भवन में बिजली एवं पानी की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान करना

*339. श्री जितेंद्र कुमार—क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 249 पैक्स एवं 16 व्यापार मंडल द्वारा धान की अधिप्राप्ति की राशि किसानों को ससमय उपलब्ध करा दी गई है, परन्तु 90 पैक्सों को एस०एफ०सी० द्वारा 33 करोड़ राशि का भुगतान नहीं किये जाने से पैक्स डिफॉल्टर होने की स्थिति में आ गया है, यदि हाँ, तो सरकार एस०एफ०सी० द्वारा 90 पैक्सों को 33 करोड़ राशि का कबतक भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विभाग को हैण्ड ओवर करना

*340. श्री ललित कुमार यादव—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के सभी प्रखंडों में डाटाकॉम सेंटर का भवन निर्माण कार्य वर्ष 2015-16 में किया गया, लेकिन विभाग द्वारा भुगतान नहीं किये जाने के कारण उक्त भवन विभाग को हैण्ड ओवर नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भवनों का भुगतान कर विभाग को कबतक हैण्ड ओवर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बताना

*341. श्रीमती कुंती देवी—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नीमचक बधानी प्रखंड में मुख्यमंत्री चापाकल योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में जो चापाकल गाड़ा गया है वह अनुशासित स्थान से हटकर हारी डीह गाँव में मो० सोहेब खाँ, ग्राम-धरम बिगहा में विजय यादव एवं ग्राम-भनसुरा में अनिल यादव के घर के अंदर गाड़ा गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

पशु चिकित्सालयों के भवन का निर्माण

*342. श्री शिवचन्द्र राम—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत राजापाकड़ प्रखंड में बैद्यनाथपुर प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय तथा राजापाकड़ पशु चिकित्सालय का भवन जर्जर होने से आम जनता को चिकित्सा सुविधा प्राप्त होने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त पशु चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण कराने का विचार रखती है ?

कार्रवाई करना

*343. श्री सुबोध राय--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत शाहकुंड अंचल वाद संख्या 2/2016 जो गिरवरनाथ पहाड़ के किनारे अतिक्रमणकारियों के कब्जे से संबंधित है, पर अबतक सरकार द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

पदस्थापन करना

*344. श्री (मो०) आफाक आलम--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा अंचल में राजस्व कर्मचारी का 7 पद स्वीकृत है, जिसमें 3 पद पर राजस्व कर्मचारी कार्यरत हैं, शेष 4 पद पर राजस्व कर्मचारी का पद 2 वर्षों से रिक्त है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पदस्थापन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुदानित राशि का भुगतान

*345. श्री नारायण प्रसाद--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत नीतन प्रखंड के पकड़िया, शिवराजपुर, दक्षिण तेलहुआ, गहीरी तथा बैरिया प्रखंड के मलाही बलुआ, उतरी पटजिरवा, दक्षिणी पटजिरवा, फुलियाखांड, लौकरिया, बधना पंचायतों में स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय का निर्माण नवम्बर, 2016 में कराया गया है, लेकिन आजतक लाभुकों को अनुदानित राशि 12,000 का भुगतान नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो सरकार शौचालय निर्माण कराये लाभुकों को अनुदानित राशि का भुगतान कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

* 346. श्री वशिष्ठ सिंह—क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के करगहर पश्चिम सेन्दुआर साख समिति एवं नोखा प्रखण्ड के धर्मपुरा पश्चिम प्राथमिक साख सहयोग समिति के पूर्व अध्यक्ष के डिफॉल्टर (आरोपित) होने के कारण उक्त समिति के नव-निर्वाचित (वर्तमान) अध्यक्ष को कार्य करने का अधिकार सरकार द्वारा नहीं दिया गया है, जिससे संबंधित प्राथमिक साख सहयोग समिति के किसानों के धान का क्रय नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार आरोपित पूर्व अध्यक्ष पर कार्रवाई करने एवं वर्तमान अध्यक्ष को कार्यभार देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार का निर्माण

* 347. श्री राजेन्द्र कुमार—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के हरमिदि प्रखण्ड में निर्माणाधीन जलमीनार का कार्य संवेदक द्वारा छोड़ दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्राक्कलन के अनुसार डेढ़ किलो मीटर तक पाइप लगाना था, परन्तु गरीब बस्ती एवं महादलित टोला को छोड़ कर कार्य किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जलमीनार का निर्माण कार्य पूरा कराकर गरीब बस्ती एवं महादलित टोला को पाइप से जोड़ने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दखल-कब्जा हटाना

* 348. श्री सदानंद सिंह—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के कहलगँव शहर के वार्ड नं० 16 एवं 17 में सरकारी भूमि पर अस्वामित्वक तत्वों के द्वारा अतिक्रमण कर कच्चे-पक्के मकान का निर्माण पिछले 4-5 वर्षों से किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पदाधिकारियों की उदासीनता के कारण उक्त जमीन को अतिक्रमणकारियों के द्वारा बेचने का भी काम किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त भूमि से अवैध दखल-कब्जा हटाने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनियमितता की जाँच

* 349. श्री जितेन्द्र कुमार—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला में वित्तीय वर्ष 2010-11 में पावर टोलर एवं वित्तीय वर्ष 2009-10 में हसुआ-खुरपी किसानों के बीच वितरित करना था, जिसे वास्तविक लाभार्थी को न देकर वितरण में अनियमितता की गयी है तथा इसे बाजार में बेच दिया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

रोक हटाना

* 350. श्री भोला यादव--क्या मंत्री, स्वास्थ्य एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 1930 में जिन जमीनों का सर्वे नहीं हो पाया था वैसी जमीनों का सर्वे वर्ष 1990 में हुआ ;

(2) क्या यह बात सही है कि 1990 के सर्वे से संबंधित दस्तावेज सरकार के पास उपलब्ध रहने के बावजूद उसे अनसर्वे जमीन मानकर भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय संख्या 17 जमाबंदी (कार्य योजना) 16/2017-593 द्वारा भूमि के रसीद अद्यतन, दाखिल-खारिज एवं एल०पी०सी० पर रोक लगा दी गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त रोक को हटाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :

दिनांक 30 नवम्बर, 2017 (ई०) ।

राम श्रेष्ठ राय,

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।